UPST010050002026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित—सुनील कुमार—IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)
न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू0पी0 1885

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—1547/2026

गुरूदीन वर्मा आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र स्व0 सहदेव वर्मा निवासी नारायनपुर थाना लम्भुआ जिला सुलतानपुर ....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या—151/2026,
धारा—103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता,
थाना—लम्भुआ, जनपद—सुलतानपुर

दिनांक 09.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त गुरूदीन वर्मा की ओर से थाना लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या—151/2026 अन्तर्गत धारा—103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में किसी अभियुक्त का कोई भी अग्रिम/नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित होना नहीं पाया गया है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है।

जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा श्रीनाथ गुप्ता द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 04.05.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दि0 03.05.2026 को सुबह 6.00 बजे वादी अपने लड़के अर्पित गुप्ता को नरायनपुर निवासी गुरूदीन वर्मा के घर ले गया। वादी अपने लड़के को खुद नरायनपुर छोड़ने गया था। वादी को उक्त गुरूदीन वर्मा ने दि0 03.05.2026 को दोपहर 01.00 बजे सूचित किया कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है तथा कपड़ा मिला है। जब वादी अपने लड़के को लेने पहुंचा तो तालाब से मिट्टी निकालकर रखी गयी थी तथा तालाब से प्रार्थी के लड़के का शव निकालकर रखा

गया था। वादी उक्त घटनास्थल पर सायंकाल 5.00 बजे पहुंचा। वादी इस सम्पूर्ण घटना के लिए गुरूदीन वर्मा को जिम्मेदार मानता है।

यह प्राथमिकी प्रार्थी/अभियुक्त गुरूदीन वर्मा के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, कथित अभियोग में हैरान व परेशान करने की गरज से झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी मात्र शंका के आधार पर दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी स्वयं अपने लड़के को प्रार्थी के घर पहुंचाने गया था। मृतक की लाश जिस स्थान से पायी गयी है, वहां से प्रार्थी का घर काफी दूर है। उपरोक्त मुकदमे के किसी भी गवाह द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतक को तालाब की तरफ ले जाते न तो किसी ने देखा है, न ही किसी ने बताया है। प्राथमिकी विलम्ब से कानूनी राय मशविरे से दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी में किसी स्वतंत्र साक्षी का उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र अर्पित गुप्ता आयु लगभग 14 वर्ष की हत्या कर उसके शव को तालाब में डाल दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

निम्नांकित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा श्रीनाथ गुप्ता का पुत्र अर्पित गुप्ता दि0 03.05.2026 को सुबह 6.00 बजे गुरूदीन वर्मा (प्रार्थी/अभियुक्त) के घर गया था।

3. प्रार्थी/अभियुक्त गुरूदीन वर्मा की पत्नी श्रीमती मीरा देवी ने अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में यह कथन किया है कि मेरे यहाँ प्याज को खेत से निकालना था। मेरे पति की श्रीनाथ गुप्ता से काफी दोस्ती है। अक्सर काम लगता है तो उसे और उसके बेटे व परिवार को बुला लेते है। दि0 03.05.2026

को भी मेरे पति के द्वारा अर्पित को प्याज निकालने के लिये बुलाया गया था, जिसे श्रीनाथ गुप्ता स्वयं लगभग 06.30 बजे मेरे घर पर छोडकर गये थे। मैं, मेरे पति तथा अर्पित तीनो लोग प्याज निकालने खेत में चले गये थे। चार क्यारियों में प्याज लगी थी, जिसमें से तीन क्यारी का प्याज ही निकल पाया था कि मौसम खराब हो गया बारिश होने लगी हम लोग जो प्याज उखाडे थे, उसको ठेलियाँ पर लादकर जल्दी–जल्दी घर आ गये। सभी लोग भीग गये थे। अर्पित को अपनी बेटी का कपड़ा पैन्ट टीशर्ट बदलने के लिये दे दिया था। उसने कपड़ा बदलकर अपना कपड़ा सूखने के लिये फैला दिया था। इसी बीच बारिश बन्द हो गयी, धूप भी निकल आयी थी। मैने खाना बनाया जिसे सब लोगों ने खाया था। यह सब करते करते लगभग 12–12.30 बजे का समय हो गया था। मैं अपने कमरे में आराम करने चली गयी थी। मेरे पति ने अर्पित से कहा था कि आओ कमरे में चलकर आराम करते है। दोनो कमरे में गये परन्तु तुरन्त ही अर्पित बाहर निकल आया था। यहीं बाहर चारपाई पर चुपचाप लेट गया था। फिर पता नहीं कब कपड़ा बदलकर चला गया। इसकी जानकारी मुझे नहीं हो पायी। 03.00–03.15 बजे के आस पास मैंने अपने पति से बताया कि अर्पित पता नहीं कहाँ चला गया। इस पर इन्होने अर्पित के पिता को फोन किया तथा पूछा कि अर्पित घर पहुंच गया है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद पुनः मेरे पति ने पूछा तो उसने कहाँ कि अभी पूछकर बता रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद श्रीनाथ गुप्ता का फोन आया कि अर्पित घर पर नहीं आया है। इसी समय पड़ोस का ही रहने वाला लड़का अर्चित अपने हाथ में अर्पित का कपड़ा व चप्पल लेकर आया और बताया कि यह तालाब के पास पड़ा हुआ था, जिस पर सभी लोग तालाब की ओर भागे, जहाँ ढूंढने पर तालाब में डूबा हुआ अर्पित का शव को बाहर निकाला गया। यह सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। विवेचक द्वारा यह प्रश्न पूछने पर कि आपके पति का आचरण कैसा है, साक्षी मीरा देवी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी श्रीमती मीरा देवी के बयान से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि दि0 03.05.2026 को करीब 12–12:30 बजे के बीच प्रार्थी/अभियुक्त ने मृतक अर्पित को अपने कमरे में चलकर आराम करने के लिए कहा था और दोनो कमरे में गये थे परन्तु उसके बाद अर्पित प्रार्थी/अभियुक्त के कमरे से बाहर निकल आया था और बाहर रखी चारपाई पर चुपचाप लेट गया था तथा कुछ समय के बाद बाहर चला गया था। इसी के कुछ समय बाद अर्पित की लाश तालाब से बरामद हुई।

प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी श्रीमती मीरा देवी के बयान से प्रथम दृष्टया

यह भी स्पष्ट है कि उसने अपने पति के आचरण के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा पूछे जाने पर चुप्पी साध लिया था।

4. वादी मुकदमा श्रीनाथ गुप्ता ने अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में यह कथन किया है कि इस घटना के लिए गुरूदीन वर्मा ही ज़िम्मेदार है। मुझसे दीवान जी ने पूछा था कि तुम्हारे बेटे की हत्या किसने की तो मैंने उन्हें बताया था कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह घटना गुरूदीन वर्मा ने ही कारित किया है और मुकदमा दर्ज करवाया था। आज जब मेरे बेटे का शव यहां रखा हुआ था तो आस–पास के गांव और तमाम लोगों की भीड़ एकत्र थी। सभी लोग बोल रहे थे कि गुरूदीन वर्मा चरित्र का अच्छा आदमी नहीं है। मुझे पहले पता नहीं था कि यह गन्दा आदमी है, नहीं तो मैं कभी भी अपने बेटे को उसके पास नहीं छोड़ता। उसने मेरे बेटे को अपने साथ सोने के लिये बुलाया था। ज़रूर उसने उसके साथ कुछ करना चाहा होगा। तभी मेरा बेटा उसके कमरे से तुरन्त ही बाहर निकल गया था। गुरूदीन वर्मा को डर लग गया कि कहीं अर्पित उसके बारे में अपने घर पर न कुछ बता दे इसीलिये गुरूदीन वर्मा, दोपहर में जब लोग अपने घरों में होते हैं, मेरे बेटे को तालाब पर ले गया तथा उसकी हत्या करके उसके शव को छिपाने के उद्देश्य से तालाब में डुबो दिया।

5. इसी प्रकार साक्षी रामसुख गुप्ता ने अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में यह कथन किया है कि गुरूदीन वर्मा चरित्र का अच्छा आदमी नहीं है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष दिये अपने बयान में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अधिवक्ता के माध्यम से सफाई समक्ष न्यायालय देने का कथन किया तथा जब विवेचक द्वारा उससे पूछा गया कि क्या आपके द्वारा मृतक को अपने साथ कमरे में सोने के लिए चलने को बोला गया था तो उसके द्वारा ''हाँ'' कहा गया। जब विवेचक द्वारा उससे पूछा गया कि मृतक आपके साथ कमरे में कितनी देर तक था तो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह उत्तर दिया गया कि अर्पित एक ही मिनट में कमरे से बाहर चला गया था। जब विवेचक द्वारा यह पूछा गया कि अर्पित क्यों एक ही मिनट में कमरे बाहर चला गया था तो इस प्रश्न पर प्रार्थी/अभियुक्त निरूत्तर हो गया।

7. मृतक अर्पित गुप्ता के पंचायतनामा में 'चोट' शीर्षक के अंतर्गत यह अंकित है कि दोनो आंखों से रक्तस्राव व ठुड्डी के पास घाव। अन्य कोई जाहिरा चोट नहीं दिखाई पड़ी।

8. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमॉर्टम के समय मृतक के शरीर

पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी थीं:–

I. LACERATED WOUND OF SIZE 2CM X 0.5CM PRESENT OVER RIGHT UPPER EYE LID.
II. LACERATED WOUND OF SIZE 3CM X 0.5 CM PRESENT OVER LEFT UPPER EYE LID.
III. LACERATED WOUND OF SIZE 3CM X 2CM PRESENT OVER FACE JUST BELOW LEFT EYE WITH MUSCLE DEEP.
IV. LACERATED WOUND OF SIZE 1CM X 1CM PRESENT OVER FACE JUST BELOW LOWER LIP ON RIGHT SIDE.
V. MULTIPLE TOOTHBITE MARKS PRESENT OVER LOWER LIP ON INNER SIDE.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण Asphyxia due to Throttling and Strangulation उल्लिखित है।

यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त गुरूदीन वर्मा की ओर से थाना लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–151/2026 अन्तर्गत धारा–103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 09.06.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
JO Code UP 1885

मधुलिका सिंह/–

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.06.10 15:45:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court